न्यायमूर्ति श्री एस. नारंग, के सामने

हेम राज और अन्य, - याचिकाकर्ता
बनाम
सचिव, गृह विभाग, यू.टी., चंडीगढ़ और अन्य,---
प्रतिवादी
सी.डब्ल्यू.पी. 2001 की संख्या 4947,
28 मार्च, 2003

पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 — धारा 27, 50, 51 और 57 —सेवा और आचरण नियम (सुपर बाजार), 1988 — पभोक्ता वस्तुओं की कीमत निर्धारण नीति को रोकने और रोकने के लिए सुपर बाजार की स्थापना —सोसायटी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रबंध समिति का गठन — कोई चुनाव नहीं 1969-8 से प्रबंध समिति— धारा 27 रजिस्ट्रार को प्रबंध के समिति के निलंबित या अधिक्रमण की स्थिति में एक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देता है— किसी भी प्रशासक को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकता है — यूटी द्वारा पर्यवेक्षी अधिकारियों / महाप्रबंधकों की नियुक्ति की अवधारणा, प्रशासन पूरी तरह से अधिनियम और और उप-कानूनों से अलग है —कुप्रबंधन के कारण सुपर बाजार के मामलों की गिरावट — सचिव का निर्देश उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने के लिए सहयोग —रजिस्ट्रार ने धारा 57 के तहत सुपर बाजार के समापन और एक लिक्विडेटर की नियुक्ति का आदेश पारित किया— आदेश पारित करने से पहले रजिस्ट्रार द्वारा धारा 50 और 51 के तहत

परिकल्पित न तो कोई जांच और न ही कोई निरीक्षण किया गया — सुपर बाजार को व्यावहारिक और लाभदायक बनाने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त उचित समाधान की सिफारिश करने वाली एक समिति नियुक्त की गई — नहीं समिति की सिफ़ारिश कि सोसायटी ख़त्म करने लायक है — समिति की रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यक जांच नहीं कहा जा सकता — समापन आदेश पारित करने से पहले अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना - विवादित आदेश कानून के तहत टिकाऊ नहीं होने के कारण रद्द किया जा सकता है — क्या सुपर बाजार अनुछेद 12 के अर्थ से राज्य का एक साधन है. — प्रश्न अनिर्णीत छोड़ दिया।

अभिनिर्धारित किया गया कि, उत्तरदाताओं ने खुद को सही और उचित परिप्रेक्ष्य संचालित नहीं किया है। माना जाता है कि सुपर बाज़ार को वर्ष 1967 में शामिल किया गया था और एक प्रबंध समिति का भी गठन किया गया था जिसे एक और आधे साल के कार्यकाल के बाद चुना जाना था लेकिन ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था। इस प्रकार, रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा प्रबंध समिति को अधिक्रमण करने में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका, लेकिन प्रशासकों की नियुक्ति में आदेश समय-समय पर पारित किए गए हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशासकों की नियुक्ति अधिनियम के तहत परिकल्पित एक वर्ष की अवधि को परिभाषित किए बिना की गई थी। पाँच वर्ष की अवधि के बाद किसी भी प्रशासक की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, फिर भी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी प्रशासक की पहली नियुक्ति वर्ष 1973 में की गई थी और वर्ष 1973 से 1987 तक अलग-अलग प्रशासकों की नियुक्ति की

गई थी। इसके बाद 1987 से 1990 तक पर्यवेक्षी अधिकारियों के पदनाम से अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो पदनाम अधिनियम के प्रावधानों और सुपर बाजार के कामकाज और कार्यप्रणाली के प्रशासन के लिए प्रख्यापित नियमों से अलग है। इसके बाद, पदनाम में बदलाव हुआ और कहा जाता है कि एक महाप्रबंधक को संभवतः अधिनियम के तहत प्रदान किए गए नामकरण पर वापस आते हुए नियुक्त किया गया था। प्रशासन की ओर से यह अधिनियम उनके आदेश को कानूनी नहीं बनाता है क्योंकि ऐसे सभी आदेश अधिनियम की धारा 26 के तहत परिकल्पित पांच साल की अवधि की समाप्ति के बाद पारित किए गए हैं। कुछ आदेशों के अवलोकन से, अकाट्य निष्कर्ष यह निकला कि सभी आदेश प्रशासन द्वारा पारित किए जा रहे थे, हालांकि उनमें से कुछ रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के माध्यम से पारित किए गए थे। ऐसे में प्रशासन और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खुद ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि सुपर बाजार पर नियंत्रण किसका है। शायद, वे नहीं चाहते थे कि सुपर बाज़ार का संचालन लोकतांत्रिक ढंग से हो।
(पैरा 24)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरदाताओं ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया है, परिसमापन आदेश अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन की कठोरता से ग्रस्त है। समापन आदेश पारित करना स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अनदेखी को दर्शाता है, सचिव, सहकारिता द्वारा दिनांक 22 मई, 2000 को पारित आदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में एक संकेतक और एक कदम है, लेकिन समापन आदेश बिना अनुपालन के जल्दबाजी में पारित किया गया। अधिनियम के प्रावधान पर्दा

डालने का अंध प्रयास है। इस प्रकार, विवादित आदेश कानून के तहत टिकाऊ नहीं हैं।
(पैरा 26)

सुश्री जगदीप बैंस, याचिकाकर्ताओं के लिए वकील
के.के. गुप्ता, उत्तरदाताओं के लिए वकील.

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री जे.एस. नारंग,

(1) यह निर्णय 2001 के दो सिविल रिट याचिकाओं नंबर 4947 और 5375 का निपटारा करेगा, क्योंकि इन दोनों मामलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। मुख्य रूप से, तथ्य 2001 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4947 से लिए जा रहे हैं, हालांकि जहां भी आवश्यक हो, 2001 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5375, उन दस्तावेजों या कथनों का संदर्भ दिया जाएगा जो उपरोक्त याचिका में शामिल नहीं हैं।
(2) जिन तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता स्टोर लिमिटेड (बाद में "सुपर बाजार" के रूप में संदर्भित) को वर्ष 1967 में शामिल किया गया था और पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत इसका पंजीकरण किया गया था। (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) और सुपर बाजार द्वारा प्रख्यापित नियम और उप-कानून भी तदनुसार लागू किए गए थे। सुपर बाज़ार के चंडीगढ़ और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में लगभग 50 आउटलेट थे, उपरोक्त संबंधित आउटलेट में सेवा के लिए लगभग 209 कर्मचारियों

को रोजगार पर रखा गया था। प्रधान कार्यालय एस.सी.एफ नंबर 5-6, सेक्टर 22-डी, चंडीगढ़ में स्थित है। सुपर बाजार द्वारा प्रख्यापित उपनियम नंबर 9 के अनुसार, सामान्य निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए और यदि कार्यालय धारकों द्वारा बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो रजिस्ट्रार सहकारी समितियां स्वप्रेरणा से उसे समन किया जा सकता है। उपनियम नंबर 11 के अनुसार, संविधान प्रबंध समिति का गठन किया गया है यानी एक प्रतिनिधि कक्षा-ए के तहत प्रत्येक 100 शेयरधारकों के लिए, न्यूनतम के अधीन चार, बी और सी क्लास शेयरधारकों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि, एक केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सरकार के प्रतिनिधि एक तिहाई तक अपने प्रतिनिधियों को नामित करने का हकदार होगा प्रबंध समिति के कुल सदस्य, अधिकतम के अधीन तीन और रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी होगी पदेन अधिकारी सदस्य होंगी। आगे यह विचार किया गया है कि प्रत्येक वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जायेंगे। पहली प्रबंध समिति का गठन वर्ष 1967 में किया गया था और इसे डेढ़ वर्ष तक जारी रहना था। ऐसा आरोप है कि उसके बाद न तो एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हुए और न ही प्रबंध समिति की कोई भी बैठक हुई और न ही सामान्य निकाय बैठक कभी हुई है, आयोजित कि गई है, क्योंकि कोई भी नहीं बुलाई गई। उप-कानूनों के तहत परिकल्पित अन्य आवश्यकताएं हैं, जिनके लिए प्रबंध समिति की ओर से रुक-रुक कर कार्य करने की आवश्यकता होती है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया है।

(3) सुपर बाजार की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में मूल्य निर्धारण नीति को रोकना ताकि उपभोक्ताओं को सुपर बाजार द्वारा एक निश्चित मूल्य पर और खुदरा विक्रेताओं की कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा में उपभोग्य

वस्तुएं बेचे जाने पर अतिरिक्त लाभ मिल सके। आरोप है कि 1973 से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गृह सचिव सुपर बाजार के कामकाज और नियंत्रण के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि सुपर बाजार के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए, यदि प्रबंध समिति या सामान्य निकाय की कोई बैठक आयोजित नहीं की जाती है, तो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को अधिनियम की धारा 27 के तहत सहकारी समितियों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए अधिकार दिया गया है। उपरोक्त प्रावधान पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार है:-

" धारा 27 समिति या सदस्य को हटाना या निलंबित करना तत्संबंधी: — (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, ए समिति या किसी समिति का कोई सदस्य लगातार निष्पादन में चूक करता है या लापरवाही बरतता है इस अधिनियम या नियमों द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्य उसके तहत बनाए गए उपनियम या कोई भी कार्य करता है जो समाज या उसके सदस्यों के हितों के प्रति हानिकारक है, या सहकारी समिति द्वारा किए गए उत्पादन या विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में चूक करता है, तो रजिस्ट्रार, इसके बाद जैसा भी मामला हो, समिति या सदस्य, को लिखित आदेश द्वारा अपनी आपत्तियां, यदि कोई भी हो, बताने का उचित अवसर देना:-

(ए) समिति को हटा दें, और मामले के प्रबंधन के लिए एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी क्रम में प्रशासक के रूप में नियुक्त करें जैसा निर्दिष्ट किया गया है: —

(बी) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और उप-कानूनों के अनुसार सदस्य को हटा दें और निवर्तमान सदस्य की शेष अवधि के लिए रिक्ति को भरवाएं।".

(4) उपरोक्त शक्ति का प्रयोग रजिस्ट्रार द्वारा तभी किया जा सकता है, जब उसे पता चले कि उसके द्वारा बनाये गये अधिनियम, उपनियम या नियमों के प्रावधानों लागू किया गया, समिति ने या समिति के किसी सदस्य ने लगातार चूक परिकल्पित की है। इसके अलावा, यदि कोई ऐसा कार्य किया गया है, जो सोसायटी या उसके सदस्यों के हित के लिए प्रतिकूल है या सोसायटी द्वारा शुरू की गई परियोजना या विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई चूक की गई है, तो रजिस्ट्रार समिति या सदस्य को जैसा भी मामला हो, अपनी आपत्तियों, यदि कोई हो, को बताने का उचित अवसर देकर, समिति को हटा सकता है और एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रशासक के रूप में एक सरकारी कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है, जिसे निर्दिष्ट किया जा सकता है आदेश में, या उप-कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सदस्य को हटा सकता है और सदस्य की शेष अवधि के लिए रिक्ति भरवा सकता है। उपरोक्त शक्ति के आधार पर, रजिस्ट्रार को सहकारी समितियाँ प्रबंध समिति को हटाने और एक प्रशासक नियुक्त करने का हकदार हैं। 1973 से 1987 तक नियुक्त प्रशासकों की सूची का खुलासा याचिका में किया गया है, जो इस प्रकार है-

" सर्वश्री

"1. दामोदर दास, आई.ए.एस. 31-3-1973 से 8-1-1976 तक

2. एस.के. टुटेजा,आई.ए.एस. 22-1-1976 से 9-3-1978 तक

3.	ए.के. दुबे, आई.ए.एस.	10-3-1978 से 11-3-1980 तक
4.	एस.पी. शर्मा, आई. ए.एस.,	16-3-1980 से 3-8-1980 तक
5.	के.के. धीर, आई.ए.एस.	4-8-1980 से 20-11-1980 तक
6.	एस.पी. शर्मा, आई.ए.एस.	21-11-1980 से 5-1-1981 तक
7.	आर.एल. शर्मा, पी.सी.एस.	6-1-1981 से 3-2-1981 तक
8.	श्रीमती तेजेंदर कौर, आई.ए.एस.	4-2-1981 से 16-2-1981 तक
9.	श्री डी.एस. काल्हा, आई.ए.एस.	17-2-1984 से 31-7-1987 तक
10.	श्रीमती अंजुला चिब दुग्गल, आई.ए.एस.	31-7-1987 से 24-9-1987 तक

(5) आरोप है कि ये आदेश चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव द्वारा पारित किए गए हैं। हालाँकि, 1987 से 1990 तक, पदनाम में बदलाव किया गया और इसके बजाय एक प्रशासक नियुक्त किया गया। समय-समय पर एक पर्यवेक्षी अधिकारी यानि पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

"1.	श्री डी.वी. भाटिया, एच.सी.एस.	25-9-1987 से 28-11-1988 तक

2.	श्री अशोक कुमार, पी.सी.एस.	29-11-1988 से 19-1-1990 तक
3.	श्री एच.एस. संधू, पी.सी.एस.	20-2-1990 से 4-5-1990 तक
4.	श्री जगजीत सिंह पुरी, पी.सी.एस.	30-5-1990"

(6) यह आरोप लगाया गया है कि पर्यवेक्षी अधिकारी की नियुक्ति की अवधारणा अधिनियम और उपनियमों से पूरी तरह अलग है। इस प्रकार, ऐसी नियुक्तियाँ अवैध हैं और कानून के तहत टिकाऊ नहीं हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि सुपर बाजार द्वारा संचालित स्टोर 1990 के बाद रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पूर्ण नियंत्रण में आ गए और ऐसा लगता है कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत समझने योग्य नहीं हैं, रजिस्ट्रार ने पर्यवेक्षी नियुक्त किया अधिकारियों ने यथापूर्वोक्त कहा। 1987 से 1990 तक रजिस्ट्रार ने पर्यवेक्षी अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके बाद, 1993 से एक महाप्रबंधक को नियुक्त किया गया दिखाया गया है, जिसे अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और इसलिए, सुपर बाजार के मामलों को चलाने में उसे एक स्वतंत्र हाथ था।

यह आगे आरोप लगाया गया है कि उक्त प्रशासकों/महाप्रबंधकों ने, हालांकि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार नियुक्त नहीं कि गई थी, उन वस्तुओं की खरीदारी की जो घटिया, सस्ती गुणवत्ता वाली लेकिन दरों में अधिक थीं। परिणामस्वरूप, बिक्री प्रभावित हुई और खरीदे गए रुपये के लाख के स्टॉक प्रभावित हुए सुपर बाजार के आउटलेट पर डंप किया गया। समय बीतने के साथ, ये स्टॉक कम दर पर भी बेचने के लिए उपभोग्य नहीं रह गए क्योंकि

शेल्फ जीवन बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। लेखा परीक्षकों ने भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई, संभवतः संबंधित महाप्रबंधकों ने तदनुसार उनकी "देखभाल" की।

(8) 20 जनवरी, 2000 को, कार्यभार और पहले की गई पदोन्नति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक आउटलेट में आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जांच करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नामित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, सहायक महाप्रबंधक और एक श्री मेहर सिंह सेवानिवृत्त तहसीलदार-सह-सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ शामिल थे। समिति ने 25 अप्रैल, 2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुछ सिफारिशें कीं। सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:-

"सिफारिशें"

1. उपरोक्त पैरा नंबर 6 में उल्लिखित कार्यशील स्टाफ तब तक अधिक नहीं होना चाहिए जब तक कि सुपर बाजार के लाभ में वृद्धि न हो और इससे भी अधिक तब तक जब तक कि उसका संचित घाटा रु. 1,53,05,235.38 का सफाया न हो गया है।

2 समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप अधिशेष कर्मचारियों को अन्य सहकारी संस्थानों या सिटको, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, बाजार समिति/विपणन बोर्ड, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड आदि जैसे किसी अन्य विभाग कार्यालय में समाहित किया जा सकता है।

3. एक वाणिज्यिक संस्थान होने के नाते सुपर बाजार को अपने कामकाजी घंटों, विशेष रूप से अपनी शाखाओं/आउटलेटों के घंटों, दुकानें/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को समकालिक करना चाहिए ताकि समान रूप से आधारित

प्राइवेट लिमिटेड के साथ तालमेल बिठाया जा सके। कुछ शाखाओं और आउटलेटों में जहां व्यावसायिक गतिविधि देर तक चलती है, कर्मचारियों को आम जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपस्थित रहना चाहिए, जिससे बदले में बिक्री और लाभ में वृद्धि होगी।

3 (ए). सुपर बाजार के उन कर्मचारियों/सेल्समैनों आदि की संलिप्तता के बारे में उचित प्राधिकारी से गोपनीय सत्यापन कराया जाए, जो निजी तौर पर सुपर बाज़ार की शाखाओं में अपने कर्तव्यों के दौरान, उनके द्वारा अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर एक जैसा व्यवसाय किया गया हैं।

आवश्यकता से अधिक स्टाफ होने पर किसी कर्मचारी की उसके संवर्ग में वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए कानून के प्रावधान के अनुसार छंटनी पर विचार किया जा सकता है।

3(बी) हालांकि, प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड और खराब प्रतिष्ठा वाले कर्मचारियों पर भी समय से पहले सेवानिवृत्ति पर विचार किया जा सकता है।

4. सुपर बाजार के कर्मचारियों को अधिक कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित होना चाहिए और उन पर लागू सेवा और आचरण नियम 1988 के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

5. भविष्य में कर्मचारियों की भर्ती करते समय प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए इन योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिशेष कर्मचारियों, यदि कोई हो, को फिर से समायोजित करने का प्रयास किया जा सकता है, तो निर्धारित योग्यता और भर्ती के तरीके को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों से अनुमोदित कराया जा सकता है। यू.टी., चंडीगढ़ जैसा कि सेंट्रल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), चंडीगढ़ के

कर्मचारियों के लिए सेवा और आचरण नियमों के भर्ती और छंटनी नियम 4.3 में निर्धारित है।
इसकी प्रतिलिपि अनुबंध पी5 के रूप में संलग्न की गई है ।
(9) चूंकि 1969 से प्रबंध समिति का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए शेयर धारक सुरिंदर कुमार पुत्र अमर नाथ ने इस न्यायालय के समक्ष साल 2000 में सीडब्ल्यूपी नंबर 7811 दायर किया, जिसका 24 जनवरी 2000, सचिव सहकारिता, चंडीगढ़ को तदनुसार शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व तय करने के आदेश के तहत निपटारा कर दिया गया। सदस्यों के अभ्यावेदन पर 22 मई, 2000 को सचिव सहकारिता द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को तीन महीने की अवधि के भीतर प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया गया। आदेश की प्रति अनुबंध पी6 के रूप में संलग्न की गई है। इस आदेश के बावजूद प्रबंध समिति के पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ है। इसके बजाय, सुपर बाजार को वित्तीय सहायता से संबंधित मामले पर विचार करते हुए 21 जुलाई, 2000 को एक आदेश, सचिव, सहकारिता, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा पारित किया गया है। दिए गए सुझाव इस प्रकार थे-
(1) वे सभी कर्मचारी जिन्होंने किसी भी तरह से सुपर बाजार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है और या तो 25 साल की सेवा पूरी कर ली है या 50 साल की उम्र प्राप्त कर ली है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सबसे पहले विचार किया जाएगा।
(2) 53 से 58 वर्ष के विशिष्ट आयु वर्ग के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
(3) कुछ मंत्रालयिक कर्मचारियों को नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में समाहित करने पर विचार किया जाएगा। ये

दोनों संगठन अपनी स्थापना के बाद से ही अन्य सरकारी विभागों से लोगों को प्रतिनियुक्ति पर लेते रहे हैं।

(4) कर्मचारियों के वेतन पैटर्न की समीक्षा करनी होगी। सुपर बाजार के कर्मचारियों का वेतन या तो समेकित परिलब्धियों के आधार पर नए सिरे से तय किया जा सकता है या कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि या डीए आदि जब तक सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता के अनुदान द्वारा वेतन में कोई वृद्धि किए बिना पूर्व-संशोधित वेतनमान पर स्विच करने के लिए बनाया जा सकता है।

(5) सुपर बाजार का वित्त पोषण या तो सरकारी सहायता अनुदान को मंजूरी देकर या 1 करोर रुपये की अचल संपत्ति बेचकर किया जाएगा।

(6) अलाभकारी दुकानों को बंद कर दिया जाए और अतिरिक्त कर्मचारियों को दुकानों की सख्त और प्रभावी जांच के लिए तैनात किया जाए।

10) ऐसा लगता है कि सुपर बाजार के कर्मचारियों को बार-बार बाहर करने का प्रयास किया गया है और जिन लोगों को सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सुपर बाजार की सेवा से हटा दिया गया है, उन्हें नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग में समाहित किया जाना चाहिए। अलाभकारी दुकानों को बंद करने की सिफारिश की गई और अतिरिक्त कर्मचारियों को दुकानों की सख्त और प्रभावी जांच के लिए तैनात किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी गाइड-लाइनों को लागू किया गया था या उनका पालन किया गया था क्योंकि 10 अक्टूबर, 2000 को रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है। उक्त आदेश शायद इसलिए पारित किया गया है क्योंकि इस न्यायालय के आदेशों और सचिव, सहकारिता द्वारा दिनांक 22 मई, 2000 को आदेश

पारित प्रबंध समिति के पद पर तीन महीने की अवधि के भीतर चुनाव आयोजित करने के आदेश के बावजूद, कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। इस प्रकार, लिक्विडेटर की नियुक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा की गई गलतियों को छिपाने के लिए की गई है। आदेश की प्रति अनुबंध पी9 के रूप में संलग्न की गई है। अधिनियम की धारा 57 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया है। बताए गए कारण यह हैं कि सुपर बाजार की पूंजी पूरी तरह से समाप्त हो गई है क्योंकि संपत्ति देनदारियों से कम है। सोसायटी खरीदे गए सामान का भुगतान करने में विफल रही है। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान माल की बिक्री आय से किया गया है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक को फिर से भरने के लिए सोसायटी के पास कोई पैसा नहीं बचा है। सुपर बाजार को प्रति माह लगभग 10 लाख रुपये का घाटा हो रहा है। यह भी माना गया है कि समाज ने सार्वजनिक हित के सर्वर के रूप में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 57 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुपर बाजार सोसायटी को बंद करने का आदेश पारित किया गया है। यह देखा जा सकता है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले यह अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है कि रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 58 के तहत एक जांच करनी चाहिए, एक निरीक्षण किया जाना चाहिए जैसा कि धारा 51 के तहत परिकल्पित किया गया है, समाज के सदस्य या सदस्यों से एक आवेदन प्राप्त हुआ जो ¾ से अधिक नुकसान नहीं है। इसके बाद, रजिस्ट्रार ने समापन का आदेश पारित करने का मन बनाना होगा। मौजूदा मामले में, न तो कोई जांच की गई और न ही रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं या किसी समिति के माध्यम से कोई निरीक्षण किए जाने की बात कही गई है। हालाँकि, एक संदर्भ दिया गया है कि 26 जून, 2000 को रजिस्ट्रार द्वारा गठित समिति ने इसकी

समग्र वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों की संख्या, कार्यभार का आकलन करने के उद्देश्य से निरीक्षण किया था। यह समझ में नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रार ने कहां से यह निष्कर्ष निकाला कि कमेटी ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है, ऐसी सिफ़ारिशें जो समाज ख़त्म करने लायक है। रजिस्ट्रार ने समिति द्वारा कथित रूप से पाई गई कमियों का उचित समाधान प्रदान करने और सुपर बाजार को व्यावहारिक और लाभदायक बनाने के बजाय, धारा 58 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए समापन का आदेश पारित कर दिया और लिक्विडेटर की नियुक्त कर दिया। इस प्रकार नियुक्त लिक्विडेटर ने 2 नवंबर, 2000 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सुपर बाजार के सभी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने की सूचना दी गई। सार्वजनिक नोटिस में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्या सोसायटी के आउटलेट्स का संचालन जारी रहेगा या सभी को बंद कर दिया गया है और उनमें पड़े स्टॉक नष्ट हो जाएंगे या उन्हें किसी अन्य संगठन को सौंप दिया जाएगा आदि। ऐसा देखा गया है कि संबंधित कर्मचारी लिक्विडेटर या अधिकृत नामित व्यक्ति को कार्यभार सौंप सकते हैं और वे नोटिस अवधि के बदले तीन महीने की अवधि सहित बकाया वेतन आदि के संबंध में अपने दावे दर्ज कर सकते हैं। ऐसा दावा नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए और इस प्रकार निर्धारित राशि का भुगतान लिक्विडेटर के पास उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा। आदेश की प्रति अनुबंध पी10 के रूप में संलग्न की गई है। आदेश पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें लिखा है। निम्नानुसार:

सार्वजनिक नोटिस

सेंट्रल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार) सेक्टर-22, चंडीगढ़ के सभी लेनदारों और कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाता है कि सेंट्रल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार) एस.सी.एफ. नंबर 5 और 6, सेक्टर 22-डी, चंडीगढ़ को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के 10 अक्टूबर, 2000 के आदेशों के तहत समापन (लिक्विडेशन) प्रक्रिया के तहत लाया गया है।

इसलिए, अब, पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 (जैसा कि यू.टी., चंडीगढ़ में लागू है) की धारा 59 के तहत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 में परिभाषित शक्तियों के साथ पढ़ा जाता है। मैं इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड (सुपर बाजार), सेक्टर 22-डी, चंडीगढ़ द्वारा केंद्रीय के सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करता हूं।

संबंधित कर्मचारी कार्यभार, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी या अधोहस्ताक्षरी के अधिकृत नामित व्यक्ति को सौंप सकते हैं और नोटिस अवधि के बदले तीन महीने के वेतन सहित बकाया वेतन आदि के संबंध में अपना दावा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दर्ज कर सकते हैं। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन बाद, जिसका भुगतान पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 (जैसा कि यू.टी., चंडीगढ़ में लागू है) की धारा 59 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा। इस सार्वजनिक सूचना की

एक प्रति सुपर बाजार के प्रत्येक कर्मचारी को पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजी जा रही है।

लेनदारों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपने दावे दर्ज करने के लिए भी सूचित किया जाता है।

11) लिक्विडेटर के प्रकाशन/कथित आदेश से व्यथित, यानी रजिस्ट्रार के आदेश की प्रति अनुबंध पी9 और लिक्विडेटर द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना प्रति अनुबंद पी10, सचिव सहकारिता विभाग, चंडीगढ़ के समक्ष दायर अपीलों में इसे चुनौती का विषय बनाया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने 15 मार्च, 2001 के आदेश के तहत अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने सही ढंग से कार्य किया है। अधिनियम की धारा 57 के तहत उनकी शक्तियां और उनके द्वारा गठित समिति द्वारा 20 जनवरी, 2000 के आदेश के तहत एक जांच की गई थी। इस प्रकार, समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, सुपर बाजार को लिक्विडैशन का आदेश दिया गया है। यह तथ्य पाया गया है कि संपत्ति सुपर बाजार द्वारा देय देनदारियों से बहुत कम है। इसके अलावा, सोसायटी को प्रति माह लगभग 10 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है जो भविष्य में ओर बढ़ जाएगा, निकट भविष्य में इसकी देनदारियां भी बढ़ जाएंगी। आगे यह देखा गया कि यह माल की बिक्री से प्राप्त आय से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर रहा था, जिसका अर्थ है कि स्टॉक को फिर से भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। यह भी देखा गया कि रजिस्ट्रार पूरी तरह संतुष्ट था, जहां तक इसकी वित्तीय स्थिति का संबंध है, इसके पुनरुद्धार की कोई संभावना न होने के कारण ऐसी सोसायटी को समाप्त कर देना ही उचित समझा गया है। चूँकि उसके पास कर्मचारियों के वेतन

का भुगतान करने के लिए कोई धन नहीं था और स्टॉक को फिर से भरने के लिए कोई धन नहीं था, लिक्विडेटर ने सभी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया और इस संबंध में रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की, जो ऐसे आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। लिक्विडेटर ने कर्मचारियों को आदेश के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने संबंधित दावे भरने का उचित अवसर दिया है, लेकिन कोई भी अपने दावे दायर करने के लिए आगे नहीं आया है। अपीलीय प्राधिकारी ने प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने के लिए 22 मई, 2000 को पारित आदेश के संबंध में भी एक टिप्पणी की है, लेकिन यह देखते हुए कि रजिस्ट्रार ने पहले ही समाज के वित्तीय मामलों में एक समिति का गठन कर लिया है, उसे खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, जांच की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी, प्रबंध समिति के कार्यालय के चुनाव कराने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस प्रकार, ऐसी सोसायटी को बंद करने का आदेश पारित करना जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था। जहां तक सोसायटी के मामलों की देखभाल के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों और महाप्रबंधकों की नियुक्ति का सवाल है, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रमुख शेयरधारक होने के कारण इसे पारित कर दिया गया है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं पाई जा सकती है। परिणामस्वरूप, अपीलें खारिज कर दी गई हैं, दिनांक 15 मार्च, 2001, प्रतिलिपि अनुबंध पी 12 के आदेश के तैहत ।

(12) कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार के आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 की प्रति अनुबंध पी9, -जिसके तहत सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया है और लिक्विडेटर का आदेश दिनांक 2 नवंबर, 2000, -जिसके तहत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी है, अनुबंध पी10 की प्रति और सचिव,

सहकारिता, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़-यूइडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 मार्च, 2001, जिसमे अपील को खारिज कर दिया गया है, यह विषय है विभिन्न आधारों पर वर्तमान याचिका में चुनौती का मामला जो नीचे दिए गए हैं :

(i)10 अक्टूबर, 2000 का आक्षेपित आदेश, जिसके तहत अधिनियम की धारा 57 के तहत सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया है, कानून के तहत टिकाऊ नहीं है क्योंकि धारा 50 के तहत परिकल्पित किसी भी जांच का आदेश नहीं दिया गया है और न ही कोई निरीक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रावधान किया गया है। रजिस्ट्रार और न ही सोसायटी के सदस्यों ने कभी भी सोसायटी को बंद करने के लिए कोई सिफारिश की थी, हालांकि सचिव, सहयोग विभाग चंडीगढ़ द्वारा 22 मई, 2000 को एक आदेश पारित किया गया था कि प्रबंध समिति के कार्यालय का चुनाव तीन महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। यह माना गया है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और प्रतिवादियों द्वारा विवादित आदेश पारित करने में लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है। सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो लोकतांत्रिक चरित्र प्रस्तुत करती है और इसे अधिनियम के तहत दिए गए सिद्धांतों के अनुसार शासित किया जाना है जो संविधान के तहत निहित ऐसे अधिकारों की सुरक्षा के अलावा और कुछ नहीं हैं।

(ii) समापन और लिक्विडेशन की नियुक्ति के आदेश को पारित करने और उसके बाद अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संरक्षित याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह स्थापित कानून है कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में पारित कोई भी आदेश रद्द किया जाना चाहिए। 2 नवंबर,

2000 के सार्वजनिक नोटिस का अवलोकन उस तरीके को दर्शाता है जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसा लगता है कि समापन का आदेश एक पूर्व-निर्धारित आदेश है क्योंकि कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश नियमों और विनियमों के अनुपालन के बिना तुरंत पालन किया गया है, जिसका पालन किसी कर्मचारी के खिलाफ समाप्ति का आदेश पारित करने से पहले किया जा सकता है। समाप्ति का आदेश न केवल नौकरशाही शक्ति के प्रयोग को दर्शाता है, बल्कि निरंकुश शक्ति को भी दर्शाता है, जो किसी भी कानून के नियम या व्यवसाय के नियम में निहित नहीं है। संप्रभु ने भारत के संविधान को अपनाकर खुद को लोकतांत्रिक सिद्धांत दिए ताकि निरंकुशता खत्म हो जाए और लोग तार्किक, कानूनी और कानून के शासन के अनुसार खुद पर शासन करें। यह वह सिद्धांत है जिसने समाज को लोकतांत्रिक चरित्र वाले छोटे संस्थान जैसे सोसायटी, बोर्ड और अन्य संस्थान बनाने के लिए प्रेरित किया। क़ानून के तहत नामित अधिकारियों के हाथों में शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन इसका प्रयोग एकवॉच-डॉग के रूप में प्रयोग किया जाना है न कि भेड़िये के रूप में। अजीब बात है कि एक आदेश के तहत सुपर बाजार के कार्यों में कमियों का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी से अनुशंसाएं मांगी गयीं। सिफारिशों के अवलोकन से पता चलता है कि तथ्य भी बताये गये हैं और समाधान भी दिये गये हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यान देने के बजाय, रजिस्ट्रार ने समिति की रिपोर्ट का दुरुपयोग करते हुए इसे धारा 50 के तहत परिकल्पित एक रिपोर्ट के रूप में पेश किया और समापन के आदेश को पारित करने में धारा 57 के तहत शक्ति का प्रयोग किया। देखभाल करने वालों की ओर से इस तरह की छद्म हरकतें कानून के तहत टिकाऊ नहीं हैं।

(iii) कर्मचारियों की सेवा शर्तों और आचरण नियम (सुपर बाजार), 1988 द्वारा शासित होती हैं, और सेवा शर्तों को बदला नहीं जा सकता है, आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी रजिस्ट्रार या उनके द्वारा नियुक्त महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी होंगे जो नियमों के तहत ही आक्षेपित आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार, लिक्विडेटर द्वारा 2 नवंबर, 2000 के आदेश के तहत पारित याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश याचिकाकर्ताओं के नियमों और सेवा शर्तों का उल्लंघन होने के कारण अवैध, शून्य है। इस विवाद के समर्थन में एक चिकित्सा घोषणा **1994(1) पीएलआर एंड एस, 74 (ब्राय किशोर अरोड़ा बनाम प्रशासक)** पर भरोसा किया गया है।

iv) बर्खास्तगी के विवादित आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस प्रकार विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और समानता और अच्छी चेतना की कठोरता से ग्रस्त है, जैसा कि इस न्यायालय और शीर्ष न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर प्रतिपादित किया गया है। इस न्यायालय की फूल बेंच के फैसले का संदर्भ दिया गया है: **राम निवास बंसल बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य, 1998 (4) एसएलआर 711**। उपरोक्त फैसले को शीर्ष अदालत ने आगे बरकरार रखा है। **उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. (मिस) बीनापानी देई और अन्य, एआईआर 1967 एस.सी. 1269** में दिए गए शीर्ष न्यायालय के आदेश का भी संदर्भ दिया गया है। शीर्ष न्यायालय ने देखा है कि यहां तक कि प्रशासनिक आदेश जिनमें नागरिक परिणाम शामिल होते हैं, उन्हें भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पारित किया जाए।

(13) उत्तरदाताओं द्वारा प्राथमिक कारण बताया गया है कि सुपर बाजार के मामलों में गिरावट के कारण परिसमापक द्वारा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सुपर बाजार के मामलों की गिरावट के लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि शायद यह यू.टी., प्रशासन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा मामलों के कुप्रबंधन के कारण है। यह सच है कि प्रबंध समिति के कार्यालय का चुनाव अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वैधानिक अवधि के भीतर आयोजित किया जाना आवश्यक था, लेकिन ऐसा कोई चुनाव कराने का आदेश कभी नहीं दिया गया। इसके अभाव में, सुपर बाज़ार के मामलों को हमेशा यू.टी. प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा प्रबंधित करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए सहकारी समिति (सुपर बाजार) के मामलों को चलाने की शक्तियां छीन लीं। एक प्रशासक को केवल अधिनियम की धारा 27 के तहत नियुक्त किया जा सकता है और वह भी केवल उस स्थिति में जब प्रबंध समिति को निलंबित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, फिर भी सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया था और बाद में एक महाप्रबंधक नियुक्त किया था। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, किसी प्रशासक को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में प्रशासक की नियुक्ति 1973 से की जा रही है, किसके तहत यह समझ में नहीं आ रहा है।

लिक्विडेटर की नियुक्ति उल्लंघन से ग्रस्त है अधिनियम के प्रावधानों और वह नियुक्ति केवल इस न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने के लिए की गई है, जिसके तहत एक निर्देश जारी किया गया था कि प्रबंध समिति के कार्यालय का चुनाव

तीन महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए । इस कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई चुनाव नहीं हुआ है, दरअसल, सहकारिता सचिव ने चुनाव कराने का आदेश पारित किया था, लेकिन उस आदेश के बावजूद कोई चुनाव नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार ने ऐसा आदेश पारित करके दिखावा किया है ताकि किसी को भी इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय की अवमानना करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सके। सचिव सहकारिता, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिनांक 22 मई, 2000 को आदेश पारित करने के बाद, अगली बार में दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसके द्वारा सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया है और लिक्विडेटर नियुक्त किया गया, जिसने जल्दबाजी में 2 नवंबर, 2000 को विवादित आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गईं थी। दिनांक 15 मार्च, 2001 के आक्षेपित आदेश के अनुसार, अपील पर निर्णय करते समय सचिव द्वारा याचिकाकर्ताओं के किसी भी तर्क पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार, सभी आदेश पूर्वाग्रह की कठोरता से ग्रस्त हैं और इस न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने का एक कार्य है। परिणामस्वरूप, सोसायटी की प्रबंध समिति के पद के लिए चुनाव कराना रद्द किया जाना चाहिए।

(vi) जिस तरीके से सरकार द्वारा समाज के मामलों को निपटाया गया है और समय-समय पर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पारित किए गए हैं, जो वस्तुतः यू.टी., प्रशासन और के नियंत्रण में रहे। बेशक, रजिस्ट्रार के नियंत्रण में, सुपर बाजार के मामलों के संचालन के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी की नियुक्ति करना एक लंबा रास्ता दिखाता है क्यूंकि इसे सरकार के एक अन्य विभाग के रूप में माना गया है, सरकार ने

हमेशा सुपर बाजार में गहरे व्यापक नियंत्रण का अनुमान लगाया है। सरकार के माध्यम से इसकी कार्यप्रणाली शीर्ष न्यायालय द्वारा **रेमना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और अन्य, एआईआर 1979 एस.सी. 1628** के मामले में निर्धारित परीक्षणों को पूरा करती है। मूल उद्देश्य जो कि बताया गया है सुपर बाजार की स्थापना में उत्तरदाताओं का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करना था और अनुमान यह है कि उपभोज्य वस्तुओं को कुछ हद तक कम दरों पर बेचने का निर्देश दिया गया था ताकि खुदरा विक्रेता को अधिक कीमत वसूलने से रोका जा सके। "सुपर बाजार" का अवलोकन करते हुए आदेश पारित करते समय रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिपादित तर्क अब सार्वजनिक हित में नहीं है और इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई तार्किक कारण नहीं बताया गया है। यदि उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिपादित इस उद्देश्य की सभी कोणों से जांच की जाए, तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि सरकार की भूमिका को समाज अर्थात सुपर बाजार के माध्यम से प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि ऐसा है, तो जिस संस्था के माध्यम से ऐसा प्रक्षेपण किया जाता है, उसे निश्चित रूप से सरकार के नियंत्रण में माना जाएगा और उसे संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत राज्य की संस्था कहा जाएगा। इन परिस्थितियों में, रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश सीधे तौर पर 'कॉलऔरबले एक्सकएरकिसे ऑफ पावर' के सिद्धांत से प्रभावित होगा।

(14) प्रतिवादी नंबर 1 से 5 ने याचिका का विरोध किया है और लिखित बयान दाखिल किया है। प्रारंभिक आपत्तियाँ ले ली गई हैं यानी: —

i) चंडीगढ़ प्रशासन को अपीलीय प्राधिकरण यानी सचिव के समक्ष एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
वर्तमान याचिका में सहयोग, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ को पक्षकार नहीं बनाया गया है। चूंकि राहत का दावा इस आशय से किया जा रहा है कि समाज राज्य का एक साधन है और इसलिए, रिट कायम रखने योग्य है और राहत राज्य के खिलाफ दावा योग्य है। यह याचिकाकर्ता पर निर्भर है कि वह राज्य को याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल करे। इस प्रकार, याचिका गैर-जुड़ने के साथ-साथ याचिका में आवश्यक पक्षों के गलत-जुड़ने के आधार पर खारिज करने योग्य है।
(ii) सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा सुनवाई योग्य नहीं होई और यह याचिकाकर्ताओं के क्षेत्राधिकार की कठोरता से ग्रस्त है। अत: इस आधार पर भी याचिका खारिज किये जाने योग्य है।
(15) याचिकाकर्ताओं की दलीलों को निम्नलिखित दलीलें देकर विवादित किया गया है: -
सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई पूरी तरह से उचित है क्योंकि समाज के मामलों को लाभदायक और सुचारू तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा था। अकेले प्रबंधन किसी संस्था को सही परिप्रेक्ष्य में कार्य नहीं करा सकता। मुख्य भूमिका हमेशा कर्मचारियों द्वारा निभाई जाती है। समिति द्वारा की गई जांच/पूछताछ से पता चला है कि सुपर बाजार की पूंजी पूरी तरह से खत्म हो गई है और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान केवल विभिन्न दुकानों पर माल की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियों से किया जा सकता है, जिसका अर्थ है, सोसायटी के पास सामान की खरीद को दोबारा करने और उसे न्यूनतम लाभ कमाने के उद्देश्य से आउटलेट पर बेचने के लिए कोई पैसा नहीं बचा

था, जिससे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा सके। ऐसे में सोसायटी के आउटलेट्स पर कारोबार जारी रखना उचित नहीं माना जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपभोज्य वस्तुओं की कीमत उस व्यय पर निर्भर करेगी जो संस्थान/आउटलेट को चलाने के लिए किया जाना है और उक्त व्यय को उपभोज्य वस्तुओं का विक्रय मूल्य तय करते समय जोड़ा जाना चाहिए। इस गणित को सोसायटी के कर्मचारियों द्वारा कभी भी आपूर्ति और लागू नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उपभोग्य वस्तुएं उचित कीमत पर नहीं बेची गईं, जिसके परिणामस्वरूप समाज की पूंजी का क्षरण हुआ। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से, सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कर्मचारियों को वेतन भुगतान का बोझ उचित लाभप्रदता से कहीं अधिक था, जो उपभोग योग्य वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त किया जा सकता था। किए गए पूंजी निवेश पर ब्याज कारक को जोड़ा जाना आवश्यक है। सुपर बाज़ार को बंद करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

यह भी दलील दी गई है कि सोसायटी के अधिकांश कर्मचारी गबन, हेराफेरी आदि के सिद्ध आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और कर्मचारियों के रूप में कार्य करके, वे सोसायटी की जड़ों को खा रहे थे। और कर्मचारी को दावा करने के अधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती जब कर्मचारी स्वयं नियोक्ता पर दायित्व बन गया हो। किसी भी कर्मचारी ने कभी भी समाज के सर्वोत्तम हित में काम नहीं किया है, बल्कि वे हमेशा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी उन्हें दिए जाने वाले वेतन के अनुरूप सेवाओं में योगदान नहीं दिया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा ऐसी रिपोर्ट बनाए जाने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए आगे

सत्यापन या जांच की आवश्यकता हो। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी ने अपना दिमाग लगाने के बाद समापन का आदेश पारित किया।

ii) सोसायटी को बंद करने का आदेश अधिनियम के प्रावधानों के उचित अनुपालन के बाद पारित किया गया है, यानी सोसायटी के मामलों की जांच समिति के गठन के माध्यम से, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, यू.टी. द्वारा की गयी थी। चंडीगढ़, - दिनांक 20 जनवरी 2000 के आदेश के अनुसार और समिति ने समग्र वित्तीय स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से आउटलेट्स का निरीक्षण किया और परिणामस्वरूप तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की। तदनुसार, पर्याप्त परिस्थितियों का वर्णन किया गया, जिसने सक्षम प्राधिकारी को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया। इस प्रकार, समापन आदेश पारित करने का निर्णय अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुपालन न होने के कारण किसी भी चूक से प्रभावित नहीं होता है।

एक बार जब समापन आदेश पारित हो गया और वह भी इस आधार पर कि सुपर बाजार को चलाना जारी रखना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है, परिसमापन ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं को सोसायटी की वित्तीय बीमारी के बारे में अच्छी तरह से पता था क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि सोसायटी अगस्त, 2000 से उनका वेतन देने में असमर्थ थी। ऐसी स्थिति में परिसमापक ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने का सही और उचित निर्णय लिया। मुख्य सिद्धांत "किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने से पहले, सभी स्थितियों में सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए", हालांकि, यह अधिकार केवल तभी दावा योग्य होगा जब कर्मचारियों की

सेवाओं को दंड के माध्यम से समाप्त किया जा रहा हो। समाप्ति का आदेश नियोक्ता की वित्तीय बाधाओं के कारण पारित किया गया है और विशेष रूप से आउटलेट को बंद करके व्यवसाय को रोकने का निर्णय लिया गया है क्योंकि उपभोग्य वस्तुएं उन दरों पर नहीं बेची जा सकती हैं जो पहले तय की गई थीं। यह स्थापित कानून है कि यदि कोई संस्था अस्तित्व में नहीं रह सकती है, तो कर्मचारियों की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जाएँगी। **राम चंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**1 में दिए गए इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है। उपरोक्त मामले में भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं। यह देखा गया है कि जिन कर्मचारियों को गतिविधि बंद होने पर छुट्टी दे दी जाती है, वे देय मुआवजे के रूप में कुछ लाभ के हकदार होंगे। कर्मचारी को ऐसी ही राहत इस टिप्पणी के साथ उपलब्ध कराई गई है कि जब भी धन उपलब्ध होगा, याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत स्वीकार्य भुगतान किया जाएगा और इस संबंध में उन्हें आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर अपना दावा दायर करने का निर्देश दिया गया था। दुर्भाग्यवश, किसी भी कर्मचारी ने ऐसा कोई दावा दायर नहीं किया है। इस प्रकार, परिसमापक द्वारा पारित समाप्ति का आदेश अधिनियम के किसी भी प्रावधान की किसी भी कमजोरी या कठोरता से ग्रस्त नहीं है।

iii) उत्तरदाताओं का यह भी कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत समाज राज्य का एक साधन नहीं है। सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित होती है और अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपायों का याचिकाकर्ताओं द्वारा लाभ उठाया गया है, जैसे कि रजिस्ट्रार,

---

[1] *1994 (4) आरएसजे 47*

सहकारी समितियों के आदेश के खिलाफ अपील दायर करना, जिसके तहत लिक्विडैटर की नियुक्ति की गई है, चुनौती दी गई। उक्त आदेश को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया है और याचिकाकर्ताओं के सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत और तर्कसंगत आदेश पारित किया गया है। हालाँकि, वही दलीलें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में कोई खामी नहीं है क्योंकि समापन का आदेश समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है। यह आवश्यक नहीं है कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हों। समिति की नियुक्ति का उद्देश्य सुपर बाजार और उसके आउटलेट के कामकाज और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। रिपोर्ट स्वयं स्पष्ट है कि कोई भी कर्मचारी समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं कर रहा है। कर्मचारियों के कृत्यों और आचरण के कारण अंततः समाज की पूंजी का क्षरण हुआ है। वास्तव में कर्मचारियों ने स्वयं ही अपनी संस्था यानी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को खा लिया और इसका परिणाम बहुत स्पष्ट है जिसके कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन आदेश पारित किया गया है।

iv) आगे यह तर्क दिया गया है कि यह सही है कि सचिव, सहकारिता, चंडीगढ़ प्रशासन ने 22 मई 2000 को एक आदेश पारित किया गया, जो इस न्यायालय के 24 जनवरी 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 781 पर निर्णय लिया गया। सोसायटी की प्रबंध समिति का चुनाव तीन महीने की अवधि सीमा के भीतर कराने के लिए एक निर्देश जारी किया गया था। लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले समिति की रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार के समक्ष रखी गई थी और रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 10 अक्टूबर, 2000 को

समापन का आदेश पारित किया। पारित होने के बाद प्रबंध समिति के चुनाव कराने का प्रश्न निरर्थक हो गया, अत: प्रबंध समिति के चुनाव कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई या ना ही की जा सकती थी।

(v) सोसायटी को राज्य का साधन नहीं कहा जा सकता क्योंकि सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य कर रही थी, जो तथ्य स्वयं याचिकाकर्ताओं और सोसायटी के सदस्यों के आचरण से स्थापित होता है क्योंकि उन्होंने मामला दायर किया था। प्रबंध समिति के चुनाव कराने के लिए इस न्यायालय से निर्देश मांगने के लिए उपरोक्त याचिका और 22 मई, 2000 के आदेश द्वारा, सचिव सहकारिता ने यह आदेश पारित किया था। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सरकार का समाज के कामकाज और कार्यप्रणाली पर गहरा व्यापक नियंत्रण था। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी सेवाएँ और आचरण नियम (सुपर बाज़ार), 1988 द्वारा शासित होती हैं, और उक्त नियम अधिनियम के तहत प्रख्यापित किए गए हैं। उन पर राज्य कर्मचारी के कामकाज और कार्यप्रणाली के नियम लागू नहीं होते। मामले के इस दृष्टिकोण में, समाज को एक राज्य के रूप में नहीं रखा या कहा जा सकता है। **भारतीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण** के मामले में शीर्ष न्यायालय का आदेश इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। अत: याचिका तदनुसार टिकने लायक नहीं है और यही योग्य है की खारिज की जाये।

(16) उत्तरदाताओं का यह भी कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन का इस पर कोई नियंत्रण नहीं था कि सुपर बाज़ार इस सीमा को छोड़कर रु. 1.55 करोड़ का समय-समय पर ऋण के रूप में शेयर पूंजी में योगदान दिया गया था, जिसे उल्लिखित निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया जाना था और जब भी

राशि उन्नत की गई थी, तो पार्टियों के बीच हर बार सहमति हुई थी। यह स्वीकार किया गया है कि प्रशासन ने सुपर बाजार के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रशासन के एक अधिकारी की सेवाएं प्रदान कीं, प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के बाद, लेकिन रजिस्ट्रार सहकारी समितियां केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ की मांग पर। इस प्रकार, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कभी भी सुपर बाज़ार की गतिविधियों पर गहरा व्यापक नियंत्रण रखा हो।

(17) आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं अपील दायर करके विवादित आदेश के खिलाफ उपाय का लाभ उठाया है। इस प्रकार, अपने स्वयं के कार्य और आचरण से उन्होंने यह मान लिया है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में समाज एक राज्य नहीं है। एक बार अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अपीलीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के बाद, तदनुसार यह दावा करना याचिकाकर्ताओं को शोभा नहीं देता है कि समाज के साथ राज्य के किसी भी अन्य विभाग की तरह व्यवहार किया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता दावा करने के हकदार हैं। इस प्रकार, यह दलील कि समाज एक राज्य है, न्यायोचित एवं उचित नहीं है। यह स्थापित कानून है कि एक बार क़ानून के तहत दिए गए अपील के अधिकार का लाभ उठा लिया गया है, जो समाज के मामलों से जुड़े व्यक्तियों या समाज के सदस्यों के लिए उपलब्ध है, किसी को भी भड़काने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अत: इस आधार पर भी याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

18) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि प्रथम दृष्टया दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है:

(1) क्या आक्षेपित आदेश अनुबंद पी 9, पी 10 और पी 12 पारित करते समय सक्षम अधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है, यदि नहीं, तो इसका प्रभाव क्या होगा?

(2) क्या समाज राज्य का एक साधन है, यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या है?

19) पहला प्रश्न जिसकी जांच की जानी चाहिए वह यह है कि क्या आक्षेपित आदेश अनुबंद पी 9, पी, 10 और पी 12 पारित करने में, सक्षम प्राधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है, यदि नहीं तो इसका प्रभाव क्या है?

(20) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 15 मार्च, 2001 अनुबंध पी12, आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 अनुबंध पी9 और आदेश दिनांक 2 नवंबर, 2000 अनुबंध पी10, कानून के तहत टिकाऊ नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने सुपर बाजार को बंद करने का आदेश पारित करने में जल्दबाजी की है । लिक्विडेशन का आदेश एक गंभीर आदेश है जिसके द्वारा किसी समाज की इकाई को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। एक समाज का निर्माण, पोषण और अस्तित्व उसके प्रवर्तकों के प्रयासों और उसमें निवेश किए गए धन को उन उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है जिनके लिए ऐसा समाज बनाया गया है। यह क़ानून लिक्विडेशन का आदेश पारित करने में अधिकारियों की शक्तियों पर स्वतः निहित प्रतिबंध प्रदान करता है। इस संबंध में, अधिनियम की धारा 50, 51 और 57 में निहित प्रावधानों का स्पष्ट संदर्भ दिया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से प्रदान

किया गया है कि समाज की समापत की घंटी बजने पर कोई राय बनाने से पहले रजिस्ट्रार द्वारा एक जांच की जानी चाहिए। जांच सही परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए और इस तरह की जांच के अनुसार रिपोर्ट का विश्लेषण भी इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वैधानिक कानूनों और न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून के तहत प्रदान की गई बुनियादी कठोरता का पालन किया जाए और एक सचेत और सतर्क निर्णय लिया जाए। रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि समापन आदेश ऐसी कमियों से ग्रस्त है। कहा गया है कि 20 जनवरी 2000 के आदेश के तहत रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है, लेकिन समिति की नियुक्ति के दायरे का वर्णन नहीं किया गया है, शायद, समिति को केवल एक तथ्यान्वेषी जांच सौंपी गई थी। इस प्रकार, समिति को कभी भी जांच की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई और इसलिए, इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, जो समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है। इसके बजाय, समिति ने सुपर बाजार को उसकी बीमारी से बाहर निकालने के उद्देश्य से कुछ सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशें प्रकृति में औषधीय हैं और समिति की समापत की घंटी नहीं बजा रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने समिति की सिफारिशों को समापन के आदेश पारित करने में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार बनाया है, लेकिन रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा जिन तथ्यों को जानना जरूरी था ।

(21) आगे यह तर्क दिया गया है कि समापन आदेश का पर्दा उठाने से इस संबंध में दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सुपर बाजार के सदस्य ने 2000 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7811 दायर किया, जिस पर 24 जनवरी, 2000 के आदेश के तहत निर्णय लिया गया और सचिव सहकारिता, यू.टी., चंडीगढ़ को

सदस्य के प्रबंध समिति के पद पर चुनाव कराने के संबंध में प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। अभ्यावेदन दायर किया गया था जिस पर सचिव सहकारिता द्वारा 22 मई, 2000 के आदेश के तहत निर्णय लिया गया है। प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने के निर्देश को धोखा नहीं दिया जा सकता है या इससे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि तथ्य बहुत दूर हैं। बहुत स्पष्ट यानी 1973 के बाद से प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था और प्रशासक की नियुक्ति प्रशासन द्वारा की गई थी, हालांकि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा नियुक्त किया गया। यदि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा प्रशासक की नियुक्ति के लिए शक्ति का प्रयोग सच्चाई से किया गया होता, तो अधिनियम की धारा 26 और 27 के तहत परिकल्पित पांच साल की अवधि से अधिक इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था और वह भी पहली बार में। प्रबंध समिति को रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा पारित एक आदेश द्वारा अतिक्रमित किया जाना आवश्यक था, लेकिन ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। सुपर बाज़ार का कामकाज 17 से 18 वर्षों तक लगातार प्रशासक के माध्यम से रजिस्ट्रार द्वारा चलाया जाता रहा। नामकरण बदल दिया गया और व्यक्ति को सीमित अवधि के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया, जो पदनाम अधिनियम से अलग है। इसके बाद, पदनाम में फिर बदलाव हुआ और इसे महाप्रबंधक के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे कृत्य पूरी तरह से अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध और उल्लंघन थे। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जो भी चूक और कृत्य किए गए, उनकी जांच करने वाला कोई नहीं था क्योंकि प्रशासकों की नियुक्ति हर बार प्रशासन द्वारा की जा रही थी। यदि प्रबंध समिति के कार्यालय का चुनाव उचित

समय पर हुआ होता, तो मामला कुछ ओर होता और सुपर बाजार की लोकतांत्रिक स्थिति निरंकुश स्थिति में परिवर्तित नहीं होती। तथ्यों से पता चलता है कि वैधानिक रूप से प्रबंध समिति किसी समाज के मामलों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यदि प्रबंध समिति प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से समिति का रबर स्टांप के रूप में उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है, जो ऐसे कृत्यों के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा। इन परिस्थितियों में, सदस्यों में से एक ने इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की और उसके अनुसरण में सचिव सहकारिता ने 22 मई, 2000 को एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रबंध समिति के कार्यालय के चुनाव तीन महीने के भीतर होने चाहिए। लेकिन, ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ और इसके बजाय 10 अक्टूबर, 2000 अनुबंध पी9 को समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया। "क्या यह एक ईमानदार आदेश है?" यदि चुनाव हुआ होता तो प्रबंध समिति ने किसी भी तरफ से बिना किसी लाग-लपेट के सुपर बाजार के मामलों की जांच की होती। चूँकि चुनाव नहीं हुए थे, इसलिए खींची जाने वाली डोरियाँ प्रशासन के हाथों में रहीं और डोरियाँ खींचना इतना स्पष्ट है कि समापन आदेश पारित कर दिया गया है, एक लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है, कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और चूक के सभी कार्य किए गए हैं और जो कमीशन प्रशासकों/पर्यवेक्षी अधिकारियों, महाप्रबंधकों द्वारा किया गया होगा उसे ख़ारिज कर दिया जाएगा और कालीन के नीचे धकेल दिया जाएगा। समापन का आदेश अधिनियम में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लंघन को दर्शाता है और निश्चित रूप से, पारदर्शिता के वर्तमान नियम को अपारदर्शी पट्टिका के सामने लाया गया है ताकि कोई यह न देख सके कि सुपर बाजार को लगातार नुकसान क्यों उठाना

पड़ा। यह खुलासा नहीं किया गया है कि बैलेंस शीट कब और कैसे दाखिल की गईं और क्या इसका ऑडिट किया गया था, यदि हां, तो किसके द्वारा। इसका उद्देश्य कानून के प्रावधानों का प्रयोग एवं दुरुपयोग कर किये गये कृत्यों पर मोहर लगवाना है।

(22) यह स्थापित कानून है कि जब कोई आदेश किसी संस्था के लिए हानिकारक होता है, जैसे समापन आदेश, तो यह केवल मामलों के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियों को कवर करने के लिए होता है और उन लोगों द्वारा भी जिन्हें प्रहरी कार्य करने की आवश्यकता होती है । ऐसे आदेश टिकाऊ नहीं होंगे । समापन का वर्तमान आदेश एक ऐसा आदेश है जो स्पष्ट रूप से सचिव सहकारिता द्वारा पारित आदेश के भाग्य पर मोहर लगाने के लिए पारित किया गया है, जिसके तहत एक निर्देश जारी किया गया था कि प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए तीन महीने में चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए। कोई भी पदाधिकारी यह बताने में सक्षम नहीं है कि इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया या नहीं किया जा सका।

(23) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने याचिका दायर करने से बहुत पहले सचिव सहकारिता के आदेश के और स्पष्ट रूप से पारित होने से बहुत पहले सुपर बाजार के मामलों की जांच के लिए समिति नियुक्त की थी। इस प्रकार, प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए चुनाव कराकर समिति के कामकाज को बीच में नहीं रोका जा सकता है। ये अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई दो स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। रजिस्ट्रार ने अधिनियम की धारा 50 के तहत परिकल्पित के अनुसार अपने अधिकारों के भीतर कार्य करते हुए जांच शुरू की और समिति की रिपोर्ट पर और की गई सिफारिशों की जांच करते

हुए, सुपर बाजार को बंद करने का उचित निर्णय लिया गया है। सच तो यह है कि पूंजी ख़त्म हो गई थी, कोई मुनाफ़ा नज़र नहीं आ रहा था या आने वाला नहीं था, कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा सका क्योंकि सुपर बाज़ार द्वारा खोले गए आउटलेटों से कोई मुनाफ़ा नहीं हो रहा था, बिक्री ख़त्म हो गई थी नीचे, कर्मचारियों को अधिशेष पाया गया और व्यवसाय चलाने के लिए पूरा गणित व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुपर बाजार को जारी रखने के खिलाफ था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोई भी उचित व्यवसायी व्यवसाय चलाना जारी नहीं रख सकता था और एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष व्यापार का नाश पर पहुंच सकता था, रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा बिल्कुल यही किया गया है। जहां तक प्रबंध समिति के कार्यालय के चुनाव की मांग करने के लिए सदस्यों के अधिकार का सवाल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने सदस्यों को सचिव सहकारिता के समक्ष अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का निर्देश देने में उचित आदेश पारित किया है, जिसने आंदोलित हो गया है और अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सही आदेश पारित किया गया है। निर्देश दिया गया है कि तीन माह के अंदर प्रबंध समिति का चुनाव करा लिया जाये, जहां तक इन दो स्वतंत्र प्रक्रियाओं का संबंध है, इसमें कोई ओवर लैप नहीं है, यानी, एक स्थापित और प्रदान किए गए लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार कार्य करना और आचरण करना और दूसरा कामकाज के संबंध में सही और संस्था की कार्यप्रणाली सही तथ्य प्राप्त करने के लिए जांच शक्तियों का प्रयोग करना है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने पर, यदि ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जो नुकसानदेह हैं और जो व्यवसाय को बंद करने के लिए सही संकेतक हैं, तो उचित आदेश सोसायटी को बंद करना था। पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा अपने विवेक के

अनुरूप कार्य करते हुए बिल्कुल यही किया गया है और समिति द्वारा सामने लाए गए तथ्य और आंकड़े, इसे ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक आदेश पारित किया गया है। यह बिल्कुल गलत है कि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। वास्तव में, एक जांच समिति नियुक्त की गई थी और परिणाम बहुत स्पष्ट हैं। अपीलीय प्राधिकारी ने भी निष्पक्ष और सही ढंग से इस आशय की राय दी है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पास सुपर बाजार को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

(24) पार्टियों के वकील की सुनवाई के बाद और रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि उत्तरदाताओं ने खुद को सही ओर उचित परिप्रेक्ष्य में संचालित नहीं किया है। अभिनिर्धारित किया जाता है कि सुपर बाज़ार को वर्ष 1967 में शामिल किया गया था और एक प्रबंध समिति का भी गठन किया गया था जिसे एक और आधे साल कार्यकाल के बाद चुना जाना था लेकिन ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ। इस प्रकार, रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा प्रबंध समिति को अधिक्रमण करने में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका, लेकिन प्रशासकों की नियुक्ति में आदेश समय-समय पर पारित किए गए हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशासकों की नियुक्ति अधिनियम के तहत परिकल्पित एक वर्ष की अवधि को परिभाषित किए बिना की गई थी । पाँच वर्ष की अवधि के बाद किसी भी प्रशासक की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, फिर भी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी प्रशासक की पहली नियुक्ति वर्ष 1973 में की गई थी और वर्ष 1973 से 1987 तक अलग-अलग प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद 1987 से 1990 तक पर्यवेक्षी अधिकारियों के पदनाम से अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो पदनाम अधिनियम के प्रावधानों और सुपर बाजार के कामकाज और कार्यप्रणाली के प्रशासन के

लिए प्रख्यापित नियमों से अलग है। इसके बाद, पद के नाम में बदलाव हुआ और कहा जाता है कि एक महाप्रबंधक को संभवतः अधिनियम के तहत प्रदान किए गए नामकरण पर वापस आते हुए नियुक्त किया गया था। प्रशासन की ओर से यह अधिनियम उनके आदेश को कानूनी नहीं बनाता है क्योंकि ऐसे सभी आदेश अधिनियम की धारा 26 के तहत परिकल्पित पांच साल की अवधि की समाप्ति के बाद पारित किए गए हैं। कुछ आदेशों के अवलोकन से, अकाट्य निष्कर्ष यह निकला कि सभी आदेश प्रशासन द्वारा पारित किए जा रहे थे, हालांकि उनमें से कुछ रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के माध्यम से पारित किए गए थे। ऐसे में प्रशासन और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खुद ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि सुपर बाजार पर नियंत्रण किसका है। शायद, वे नहीं चाहते थे कि सुपर बाज़ार का संचालन लोकतांत्रिक ढंग से हो।

25) यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि सदस्यों में से एक ने इस न्यायालय के समक्ष 2000 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7811 दायर किया था और इस न्यायालय द्वारा 24 जनवरी, 2000 के आदेश के तहत निर्देश के अनुसार प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया था और सचिव, सहकारिता एवं उनके द्वारा एक निर्णय दिया गया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि प्रबंध समिति के कार्यालय का चुनाव तीन महीने के भीतर कराया जाना चाहिए। 22 मई, 2000 के आदेश के बावजूद, प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए कोई चुनाव नहीं होने की बात कही गई है। चुनाव की कौन कहे, इस संबंध में शुरू की गई प्रक्रिया को भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई कार्यवाही कभी शुरू नहीं की गई। ऐसा लगता है कि आदेश रिकॉर्ड पर पारित कर दिए गए हैं लेकिन किसी को भी उक्त आदेश का अनुपालन कराने की जहमत नहीं उठाई गई और संभवत: आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी

को भी उक्त आदेशों के अनुपालन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने भी इस संबंध में लिखित बयान के माध्यम से कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। जो एकमात्र उत्तर प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि चुनाव कराने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी थी और सुपर बाजार के मामलों की जांच की जा रही थी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और उसके अनुसरण में समापन आदेश रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा पारित कर दिया गया है। मुझे डर है कि यह याचिका बिल्कुल भी मान्य नहीं है। यदि निर्देशित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो जांच की शक्तियां कम नहीं की जाती हैं। मौजूदा मामले में, यदि सचिव सहकारिता द्वारा पारित 22 मई, 2000 के आदेश का अनुपालन किया गया होता, तो प्रबंध समिति रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा तैयार की गई समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर कर सकती थी। हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तरदाताओं ने सचिव सहकारिता द्वारा पारित 22 मई, 2000 के आदेश को, दायरे को परिभाषित किए बिना, कालीन के नीचे धकेलने की कोशिश की है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा बनाई गई समिति के दायरे को परिभाषित किए बिना, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 50 के तहत परिकल्पित जांच के रूप में नहीं कहा जा सकता है, अपेक्षित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सहकारी समितियां जिसे रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, यह पहलू है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 अनुबंध पी9 के परिशिष्ट पी9 के विवादित समापन आदेश को पारित करने और

परिणामस्वरूप लिक्विडेटर की नियुक्ति में समिति की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

(26) यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरदाताओं ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया है, लिक्विडैशन का आदेश अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन की कठोरता से ग्रस्त है। समापन आदेश पारित करना स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अनदेखी को दर्शाता है, सचिव, सहकारिता द्वारा दिनांक 22 मई, 2000 को पारित आदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में एक संकेतक और एक कदम है, लेकिन समापन आदेश बिना अनुपालन के जल्दबाजी में पारित किया गया। अधिनियम के प्रावधान पर्दा डालने का अंध प्रयास है। इस प्रकार, विवादित आदेश कानून के तहत टिकाऊ नहीं हैं।

(27) दूसरा प्रश्न है कि क्या समाज राज्य का एक साधन है, यदि हां, तो इसका प्रभाव, क्या है।

(28) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मेरा ध्यान चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की ओर आकर्षित किया है, जिन्हें सी.एम. में पारित सम तिथि के एक अलग आदेश के माध्यम से रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया गया है। 2000 की संख्या 35964, जिसे अनुबंद पी31 से पी46 के रूप में जोड़ा गया है। इन आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रशासन समाज के मामलों से संबंधित आदेशों को इस तरह से पारित कर रहा है जैसे कि वह सरकार का कोई अन्य विभाग हो। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा वित्त सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन को संबोधित ऐसा एक संचार, जिसकी प्रतिलिपि अनुबंद पी27 के रूप में संलग्न की गई है, को स्पष्ट रूप से संदर्भित किया गया है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने विशेष रूप से देखा है कि सुपर बाजार सीधे प्रशासन द्वारा प्रशासित और नियंत्रित किया जा रहा है,

इसके कर्मचारियों की वेतन संरचना और सेवा शर्तें, जो तदनुसार पालन की जा रही हैं, चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के बराबर हैं। महाप्रबंधक के एक अनुरोध का भी हवाला दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सुपर बाजार सरकार द्वारा नियंत्रित एजेंसी होने के कारण किसी अन्य व्यावसायिक रणनीति, सामान्य दवाओं की बिक्री या दरों की बातचीत के समय पर जाने का जोखिम नहीं उठा सकता है। बिक्री, जैसा कि निजी दुकानदारों द्वारा दैनिक बाजार दरों के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इन्हीं परिसरों में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सुपर बाजार द्वारा माल की खरीद-बिक्री पर सेल टैक्स में छूट देने की मांग की गयी थी प्रासंगिक पैराग्राफ के उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

"XX XX XXXXX XX XX

सुपर बाजार सीधे प्रशासन द्वारा प्रशासित और नियंत्रित किया जा रहा है, जो चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के बराबर अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना और अन्य सेवा शर्तों का पालन कर रहा है। कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के कारण सुपर बाजार और अन्य उप-शीर्षों जैसे पानी, बिजली और कार्यालय के रखरखाव पर अन्य खर्चों में वृद्धि के बावजूद, सुपर बाजार पिछले 3-4 वर्षों से आंतरिक बचत के माध्यम से सख्त प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के दौरान अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से लगातार घाटे में चल रहा है।"

"xx xxx xx xxx जैसा कि महाप्रबंधक ने अपने अनुरोध दिनांक 23 जुलाई, 1999 में कहा था, सुपर बाजार सरकार द्वारा नियंत्रित एक एजेंसी होने के नाते अन्य व्यावसायिक रणनीति, जेनेरिक दवाओं की बिक्री या दरों पर बातचीत करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इसकी बिक्री का समय,

जैसा कि निजी दुकानदारों द्वारा दैनिक बाजार दरों के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।"

"xxx xxx xxx xx xx xxxx हालांकि क्षेत्र के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न कॉलोनियों में खोली गई दुकानें भी सुपर बाजार को बेहतर आय के लिए उत्साहजनक व्यवसाय नहीं दे रही हैं, फिर भी कर्मचारियों के वेतन और प्रतिष्ठान के अन्य खर्चों की देनदारी प्रशासन के नीतिगत मामले के रूप में इन दुकानों का किराया सुपर बाजार द्वारा वहन किया जाता है।"

(29) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पारित एक अन्य कार्यकारी आदेश, अनुबंद पी 17 दिनांक 3 अगस्त, 2000 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत श्री ज्ञानेश भारती, आईएएस, को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) के रूप में नियुक्त किया गया है।, यूटी. चंडीगढ़ को 1 अगस्त, 2000 से महाप्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव द्वारा पारित किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक अधिकारी को एक विभाग से महाप्रबंधक-सह-उप निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति और संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, यू.टी., चंडीगढ़ के रूप में सुपर बाजार में स्थानांतरित करने के आदेश भी पारित किए गए हैं । संदर्भित आदेश को अनुबंध पी16 के रूप में संलग्न किया गया है। एक और आदेश दिनांक 15 मई, 1992, प्रतिलिपि अनुबंद पी 13 का उल्लेख किया गया है, जिसमें सामान्य स्थानांतरण करते समय, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में कार्यरत श्री चंद्रेश कुमार को सुपर बाजार में स्थानांतरित कर दिया गया है और ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है कि उन्हें भेजा जा रहा है सुपर बाजार में प्रतिनियुक्ति पर है या नई नियुक्ति हुई है। सचिव, सहकारिता, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पारित 22 मई, 2000 के एक आदेश का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सोसायटी को 31 मार्च,

1973 को प्रशासन के नियंत्रण में लाया गया था और यह उसी के अधीन रही। 24 अगस्त, 1987 तक प्रशासन का नियंत्रण, और उसके बाद, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने 25 सितंबर, 1987 के आदेश के तहत सुपर बाजार के मामलों की देखभाल के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी नियुक्त किया और सुपर बाजार का नियंत्रण मई, 1990 तक पर्यवेक्षी अधिकारी का रहा। । उसके बाद, यह सीधे रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के नियंत्रण में रहा, जिसे सुपर बाजार के मामलों में सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की गई। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया गया था। आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि सोसायटी के मामलों की देख-रेख चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित एक सलाहकार समिति द्वारा की जा रही थी और शुरुआत से ही प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसे अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि से आगे बने रहने की अनुमति थी। हालाँकि, प्रावधानों की कठोरता को दूर करने के लिए, लगभग 14 वर्षों के बाद पर्यवेक्षी अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई है। पदाधिकारियों को अलग-अलग नाम देने से नामकरण, कार्यप्रणाली और सरकार के गहरे व्यापक नियंत्रण का प्रतिबिंब नहीं बदल जाएगा। निःसंदेह, सहकारिता सचिव की ओर से यह उचित स्वीकारोक्ति, कि सुपर बाजार की देखभाल के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था, उक्त तथ्य को स्थापित करने में काफी सहायक है। आदेश पर ध्यान देना उचित होगा, अनुबंद पी6 की प्रतिलिपि बनाएँ, जो इस प्रकार है:

" चंडीगढ़ प्रशासन

सहयोग विभाग

आदेश

जबकि सेंट्रल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर लिमिटेड, चंडीगढ़ (सुपर बाजार) को इसके अंतर्गत लाया गया 31 मार्च, 1973 को प्रशासक का नियंत्रण और यह 24 अगस्त, 1987 तक प्रशासक के नियंत्रण में रहा। इसके बाद रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने 25 सितंबर, 1987 को सुपर बाजार के मामलों की देखभाल के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी नियुक्त किया और सुपर 5 मई, 1990 तक बाज़ार उनके नियंत्रण में रहा। और, उसके बाद सुपर बाज़ार सीधे रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के नियंत्रण में है, सुपर के मामले में सहायता की जा रही है। सुपर बाजार के मामले में सोसायटीज को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

अब, जबकि, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी, 2000 को सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 1788 में अधोहस्ताक्षरी को निर्देश जारी किया है। मकान, सेक्टर 7-सी, चंडीगढ़ के निवासी श्री अमर नाथ के पुत्र श्री सुरिंदर कुमार द्वारा दायर संख्या 7811/2000, दिनांक 20 अक्टूबर 1999 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने की तारीख से एक महीने के भीतर आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में ला दी गई है। श्री सुरिंदर कुमार का उक्त अभ्यावेदन पहले अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था। हालाँकि, माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति 17 फरवरी, 2000 तारीख को प्राप्त हुई।

अब श्री सुरिंदर कुमार के उपर्युक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, मैं, राकेश सिंह, सचिव सहकारिता, चंडीगढ़ प्रशासन, रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, केंद्र शासित प्रदेश,

चंडीगढ़ को तीन महीने की अवधि के भीतर प्रबंध समिति के चुनाव कराने के लिए सेंट्रल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), चंडीगढ़, को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश देता हूं।

चंडीगढ़: 22 मई, 2000

(एसडी)
(राकेश सिंह, आईएएस),
सचिव सहकारिता,
चंडीगढ़ प्रशासन

(30) 21 जुलाई 2000 को सचिव सहकारिता, यू.टी., चंडीगढ़ के साथ किए गए चर्चा नोट का भी संदर्भ दिया गया है, जब सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामले पर चर्चा की गई थी। एक टिप्पणी का स्पष्ट संदर्भ दिया गया है कि सुपर बाजार को फिर से पटरी पर लाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को प्रतिष्ठान के आकार को कम करने और धन जुटाने के लिए कुछ कठोर प्रशासनिक नीति लागू करनी पड़ेगी। सुझावात्मक उपायों को भी नोट किया गया है। चर्चा नोट के प्रासंगिक अंश पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार है: -

"xx xx XXX XXXX

सुपर बाज़ार को फिर से पटरी पर लाने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन को प्रतिष्ठान के आकार को कम करने और धन जुटाने के लिए कुछ कठोर प्रशासनिक नीतिगत निर्णय लेने होंगे। विचारार्थ निम्नलिखित कदम सुझाए गए हैं:-

1. वे सभी कर्मचारी जिन्होंने सुपर बाजार को किसी भी तरह से वित्तीय हानि पहुंचाई है और या तो 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सबसे पहले विचार किया जाएगा।

2. किसी विशिष्ट आयु वर्ग 53 से 58 वर्ष के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
3. कुछ मंत्रालयिक कर्मचारियों को नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में समाहित करने पर विचार किया जाए। ये दोनों संगठन अपनी स्थापना के बाद से ही अन्य सरकारी विभागों से लोगों को प्रतिनियुक्ति पर लेते रहे हैं।
4. कर्मचारियों के वेतन पैटर्न की समीक्षा करनी होगी। सुपर बाजार के कर्मचारियों का वेतन या तो समेकित परिलब्धियों के आधार पर नए सिरे से तय किया जा सकता है या कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि या डीए आदि जब तक सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता के अनुदान द्वारा वेतन में कोई वृद्धि किए बिना पूर्व-संशोधित वेतनमान पर स्विच करने के लिए बनाया जा सकता है।
(5) सुपर बाजार का वित्त पोषण या तो सरकारी सहायता अनुदान को मंजूरी देकर या 1 करोर रुपये की अचल संपत्ति बेचकर किया जाएगा।
(6) अलाभकारी दुकानों को बंद कर दिया जाए और अतिरिक्त कर्मचारियों को दुकानों की सख्त और प्रभावी जांच के लिए तैनात किया जाए।
XX xxx xxx xxx xxx".
यहां यह बताना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि बिना वित्तीय सहायता के माह अगस्त 2000 का वेतन भुगतान करना संभव नहीं होगा। सुपर बाजार की फंडिंग या लिक्विडेटर नियुक्त करने का तत्काल निर्णय लिया जा सकता है।
कृपया जमा करें।"
(31) चर्चा की प्रति अनुबंध पी7 के रूप में संलग्न की गई है। याचिका के पैरा 10 में इसका संदर्भ दिया गया है, हालांकि, उक्त पैरा का जवाब प्रस्तुत करते समय उत्तरदाताओं ने इस आधार को छोड़कर स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया है कि

इस संबंध में कोई खुलासा नहीं किया गया है कि यह किसके द्वारा किया गया है, लिखा गया है और इसे किसे संबोधित किया गया है और इसकी तारीख क्या है, लेकिन स्पष्ट उत्तर यह भी दिया गया है कि आंतरिक चर्चा होने के कारण, इसके आधार पर अंतिम निर्णय लेने तक इसका कोई महत्व नहीं है। इसके विपरीत, यह भी दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेजों का कब्ज़ा सुपर बाजार में चोरी, गबन, हेराफेरी करने की उनकी आदत को दर्शाता है, जिसके लिए इसके अधिकांश कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया है।

(32) जहां तक प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने का सवाल है, दलील यह है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियां यू.टी., चंडीगढ़ ने सुपर का निरीक्षण करने के लिए 20 जनवरी, 2000 को पहले ही एक समिति का गठन कर दिया था। अधिनियम की धारा 50 और 51 के तहत परिकल्पित अपनी समग्र वित्तीय स्थिति का आकलन करने की दृष्टि से बाजार। हालाँकि, इस बात का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सचिव सहकारिता द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रबंध समिति के कार्यालय का चुनाव क्यों नहीं हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया गया था। 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7811 में, सचिव सहकारिता द्वारा निर्णय लिया गया। सचिव, सहकारिता द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 मई, 2000 के अवलोकन से समिति के गठन से संबंधित किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं होता है क्योंकि समिति द्वारा कोई चुनाव न कराने पर सचिव सहकार पर रोक या बाधा प्रदान नहीं की गई है। यह स्पष्ट है कि किसी भी अवमानना कार्यवाही का सामना करने की कठोरता को दूर करने के लिए ही सचिव सहकारिता द्वारा आदेश पारित किया गया है, लेकिन आदेश का कोई अनुपालन नहीं किया

गया है। यदि अनुपालन किया गया होता तो यह आकलन करना प्रबंध समिति के क्षेत्राधिकार में आता कि क्या सोसायटी को स्वेच्छा से बंद करने की आवश्यकता है या कोई अन्य उचित कार्य करने की आवश्यकता है। कोई न्यायसंगत नहीं यह आकलन करने के लिए कि क्या सोसायटी को स्वेच्छा से बंद करने की आवश्यकता है या कोई अन्य उचित कार्य करने की आवश्यकता है। याचिका के पैरा 12 में निहित कथनों का उत्तर प्रस्तुत करते समय उत्तरदाताओं द्वारा कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। इससे यह अहसास होता है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, सचिव सहकारिता द्वारा पारित आदेश के अनुपालन से बचने के लिए समापन आदेश पारित करने में जल्दबाजी की।

(33) बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सी.एम. दायर किया है। 2001 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4947 में 2002 का नंबर 35964, समाज के मामलों के संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किए जा रहे गहन व्यापक नियंत्रण के तथ्य को स्थापित करने के लिए कुछ दस्तावेजों की रिकॉर्ड प्रतियां रखने के लिए। इस आवेदन की सूचना दी गई थी, जवाब दाखिल किया गया था और उसके समर्थन में कुछ अनुबंध संलग्न किए गए हैं। उपरोक्त मुख्यमंत्री को सम दिनांक के आदेश द्वारा अनुमति दे दी गई है। कुछ अनुलग्नकों के अवलोकन से पता चलता है कि सुपर बाजार के प्रधान कार्यालय में लेखा अधिकारी की नियुक्ति के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस पद के लिए उपयुक्त अधिकारी का चयन करने के लिए कुछ नामों का पैनल मांगा गया था। इस संबंध में दिनांक 8 मई 1980 का पत्र उप सचिव (वित्त), चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पंजाब सरकार के वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव को संबोधित किया गया बताया गया है (प्रतिलिपि अनुबंद पी33 के रूप में संलग्न की

गई है)। अनुबंद पी34 से पी36 में निहित इतने सारे आदेशों और संचारों के अवलोकन से पता चलता है कि सोसायटी को प्रशासन के एक अन्य विभाग के रूप में माना जा रहा था। गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 10 अगस्त, 1990 को पारित एक अन्य आदेश, अनुबंद पी 39 से पता चलता है कि सुपर बाजार के कुछ अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस पर अनुशंसा प्रमाणन प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा सिफारिश की गई थी। गृह सचिव द्वारा पारित एक अन्य आदेश दिनांक 29 मई 1991, प्रति अनुबंद पी40, प्रशासन के नियंत्रण की पुष्टि करता है। आदेश से पता चलता है कि सोसायटी (सुपर बाजार) से संबंधित कार्य सौंपा गया था गृह-III शाखा को, जो उस समय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित थी। इस आदेश की प्रति रजिस्ट्रार सहकारी समितियां यू.टी., चंडीगढ़ और सुपर बाजार के प्रशासक और महाप्रबंधक को भी सूचित कर दी गई है। आदेश का अंश, दिनांक 31 मई, 1991, तारीख के इस प्रशासन आदेश की निरंतरता में अनुबंद पी40, इस प्रकार है:

31 जनवरी, 1991 के इस प्रशासन आदेश की निरंतरता में, पृष्ठांकन संख्या 1152-आईएच (5)-91/2712-14, दिनांक 1 फरवरी, 1991 के तहत, केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड से संबंधित कार्य (सुपर बाजार) को गृह-III शाखा को सौंपा गया है, जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित है।

र.न. प्रेशर,
दिनांक 31 मई, 1991 गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन।
क्रमांक 1152-आईएच(5)-91/12804, "

(34) गृह सचिव चंडीगढ़ प्रशासन के एक और आदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसकी प्रति 17 मई 1993 के अनुबंध पी 41 के रूप में संलग्न की गई है, जिसे प्रशासन की सामान्य नीति यानी अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में सूचित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को संबोधित किया गया है। दो वर्ष बाद 31 मई 1993 तक संवेदनशील सीटों से अधिकारी पत्र महाप्रबंधक सुपर बाजार के नाम से संबोधित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा हमेशा सुपर बाजार के साथ किसी अन्य विभाग की तरह ही व्यवहार किया गया है। कोई यह मान सकता है कि इस तरह का पत्र गलती के कारण महाप्रबंधक सुपर बाजार को संबोधित किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गृह सचिव ने महाप्रबंधक को दिनांक 19 जून, 1993 को एक पत्र भेजा, जो महाप्रबंधक द्वारा गृह सचिव को दिनांक 28 मई, 1993 को लिखे गए पत्र के जवाब में था। यह स्पष्ट रूप से दोहराया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन अधिकारियों ने दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें स्थानांतरण छोड़ा नहीं जाएगा, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी 42 के रूप में संलग्न की गई है। महाप्रबंधकों की नियुक्तियाँ हमेशा प्रशासन द्वारा की जाती रही हैं, इस संबंध में, परिशिष्ट पी 35, पी 36, पी 38 पी 43, पी 44, पी 45, पी 46 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसके तहत महाप्रबंधकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है, और नियुक्त किया गया है और तद्नुसार कार्यमुक्त कर दिया गया है।

(35) आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता एक नया मामला स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें अनुबंध की प्रतियों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर, प्रशासन ने यह स्थापित करने के प्रयास के साथ कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड

पर रखने का भी चयन किया है कि समाज के मामलों को सहायता के प्रयास से सुपर बाजार के मामलों में प्रशासक और महाप्रबंधक के लिए सलाहकार समिति में नामित व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। मुख्य आयुक्त की पत्नी, समिति की पदेन अध्यक्ष होंगी और दो आधिकारिक सदस्य होंगे यानी महाप्रबंधक और खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, चंडीगढ़, उपरोक्त समिति में पांच गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया गया था- संचार दिनांक 15 तारीख जून, 1978 के तहत। अगस्त, 1978 में, उक्त समिति में दो और गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित किया गया था। यह अजीब है कि इन सदस्यों का नामांकन वर्ष 1978 में किया गया था, लेकिन 22 दिसंबर, 1971 का एक पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रबंध समिति की एक बैठक 18 दिसंबर, 1971 को आयोजित की गई थी, जिसके तहत श्री एम.एम.अवस्थी ने कहा था और निदेशक को सुपर बाजार का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया था। मोटे तौर पर वह पत्राचार वर्ष 1971, 1976 और 1978 से संबंधित है और जो वर्ष 1977 से संबंधित है वह सलाहकार समिति की बैठकों से संबंधित है। यह समझ में नहीं आता है कि सोसायटी के उपनियमों के अनुसार, मामलों को सोसायटी की प्रबंध समिति द्वारा नियंत्रित और शासित किया जाना है, लेकिन एक या दो संदर्भों को छोड़कर प्रबंध समिति की बैठकों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। हालाँकि, इस तथ्य को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि प्रबंध समिति की बैठक कभी आयोजित की गई थी। दूसरी ओर, 19 सितंबर 1998 के पत्र से पता चलता है कि सचिव सहकारिता ने सलाहकार समिति के साथ-साथ सुपर बाजार की प्रबंध समिति के पुनर्गठन के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को एक पत्र भेजा था और सचिव ने इसके लिए कहा था कि प्रशासन के

समक्ष रखी जाने वाली सिफ़ारिशों का अर्थ है, जिससे प्रशासन समाज पर पूर्ण नियंत्रण दर्शाता है। हालाँकि, बाद में, लिक्विडेटर को एक पत्र भेजा गया, जो दिनांक 17 सितंबर, 2001 का है, जिसमें शेयर पूंजी के रूप में सोसायटी को समय-समय पर दी गई वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान की मांग की गई है। यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि शेयर पूंजी में निवेश को किस प्रकार से प्रशासन को चुकाने के लिए कहा जा सकता है। वह भी तब जब लिक्विडेटर नियुक्त किया जा चुका हो, जबकि उससे पहले सोसाइटी को ऐसा कोई प्रयास या पत्र-व्यवहार नहीं किया गया हो।

36) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को उनके स्वयं के कार्य और आचरण से इस मुद्दे को उठाने से रोका गया है क्योंकि उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील दायर करके अपने उपाय का लाभ उठाया है। इस प्रकार, सुपर बाजार को एक सहकारी समिति के रूप में स्वीकार करना जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है। यह अपने आप में यह स्थापित करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में समाज एक राज्य नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे सेवा और आचरण नियम (सुपर बाजार), 1988 द्वारा शासित हैं। उक्त नियम सुपर बाजार द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं और याचिकाकर्ताओं की सेवाएं उक्त नियम के तहत शासित हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की तुलना राज्य के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। उपरोक्त नियम राज्य द्वारा नहीं बल्कि सुपर बाजार द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने सुपर बाज़ार के मामलों पर गहरा व्यापक नियंत्रण रखा था। जहां तक प्रशासक/पर्यवेक्षी अधिकारियों/महाप्रबंधकों की नियुक्ति का सवाल है, शक्ति

का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी यानी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, यू.टी., चंडीगढ़ द्वारा किया गया है। यदि कोई आदेश पारित किया गया है जिसके आधार पर सरकारी अधिकारियों की सेवाएं उधार ली गई हैं या सुपर बाजार में प्रतिनियुक्ति पर भेजी गई हैं, तो इसे समाज के मामलों के संबंध में सरकार द्वारा शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं माना जा सकता है। भले ही, सरकार द्वारा सुपर बाजार के मामलों पर नज़र रखने के लिए कोई आदेश पारित किया गया हो, उक्त आदेश गलत नहीं हैं क्योंकि सरकार ने शेयर पूंजी में पर्याप्त निवेश किया है, हालांकि इसे सुपर बाजार को ऋण के रूप में दिया गया था। जिसे उसके संबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस किया जाना था।

37) आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा 24 जनवरी, 2000 को 2000 के सीडब्ल्यूपी संख्या 7811 में पारित एक आदेश पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जिसके तहत सचिव, सहकारिता विभाग को निर्देशित किया गया था। सदस्य (सदस्यों) के प्रतिनिधित्व पर विचार करें और सुपर बाजार की प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने के संबंध में उचित निर्णय लें। यह अधिनियम अपने आप में यह दिखाने में बहुत मददगार साबित होगा कि समाज के सदस्यों ने कभी भी सुपर बाजार को राज्य का एक साधन होने का दावा नहीं किया है, यदि किसी भी स्तर पर कर्मचारियों द्वारा इसे एक राज्य के रूप में माना गया है, तो ऐसा नहीं होगा। समाज के मामलों के संचालन में अधिनियम के प्रावधानों की कठोरता को समाप्त या कम करना। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सचिव, सहकारिता के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया गया था और प्रबंध समिति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने का निर्देश देकर एक उचित

निर्णय दिया गया है। इस प्रकार, किसी भी कल्पना से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सुपर बाजार भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य या राज्य का एक साधन है।

(38) पार्टियों के विद्वान वकील ने विस्तृत तर्कों को संबोधित किया है और रिकॉर्ड पर लाए गए संबंधित दस्तावेजों का भी उल्लेख किया है। हालाँकि, पहले बिंदु पर दिए गए निर्णय के मद्देनजर, मैं खुद को इस आशय की राय देने से रोकता हूं कि क्या सुपर बाजार भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत राज्य का एक साधन है। मैं इस प्रश्न को उचित समय पर निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ता हूं, यदि उठाया जाता है, तो तदनुसार।

(39) उपरोक्त के मद्देनजर, आक्षेपित आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 अनुबंध पी9, और आदेश दिनांक 2 नवंबर, 2000, अनुबंध पी10, और आदेश दिनांक 15 मार्च, 2001 अनुबंध पी12 कानून के तहत टिकाऊ नहीं हैं और समान हैं। रद्द किया जाए. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है और उपरोक्त आदेश रद्द किये जाते हैं। मूल्य के हिसाब का कोई आर्डर नहीं।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक

उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR 0672)
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
तोशाम (भिवानी), हरियाणा